न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 5 / 2025

ज़ी.सी.एम.एस.संख्या :– 2025 / 50

प्रार्थी		विप्रार्थी
1. किशन आत्मज जगदीश गाडरी निवासी जोगरास तहसील रायपुर 2. दिनेश आत्मज जगदीश गाडरी निवासी जोगरास तहसील रायपुर 3. प्रकाश आत्मज जगदीश गाडरी निवासी जोगरास तहसील रायपुर 4. भैरू आत्मज लालु गाडरी निवासी जोगरास तहसील रायपुर 5. रतनलाल आत्मज सोहनलाल गाडरी निवासी जोगरास तहसील रायपुर 6. लादुलाल आत्मज सोहनलाल गाडरी निवासी जोगरास तहसील रायपुर 7. लाली पत्नि जगदीश गाडरी निवासी जोगरास तहसील रायपुर		1. जमनालाल आत्मज सोहनलाल गाडरी निवासी जोगरास तहसील रायपुर 2. हीरालाल आत्मज सोहनलाल गाडरी निवासी जोगरास तहसील रायपुर 3. नानुराम आत्मज भुरा गाडरी निवासी जोगरास तहसील रायपुर 4. लादुलाल आत्मज सोहनलाल गाडरी निवासी जोगरास तहसील रायपुर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. अमरसिंह चारण, प्रार्थी अधिवक्ता
2. विप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 एकपक्षीय

–: निर्णय :–

दिनांक :– 22/12/2025

01. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है, कि राजस्व ग्राम जोगरास पटवार हल्का नाहरी के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की आराजी संख्या 728 रकबा 0.42 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 108 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रार्थीगण अपनी आराजी संख्या 728 में पैदल, संज बैल, ट्रेक्टर आदि सहित आवागमन का एक मात्र रास्ता ग्राम जोगरास से कापड़िया जाने वाले आम रास्ते से होते हुए, आम रास्ते से दक्षिण की तरफ विपक्षीगण संख्या 1, 2 व 4 की आराजी संख्या 1713 / 740 रकबा 0.22 है0 की पूर्वी पाली से होते हुए आगे विपक्षी संख्या 3 की आराजी संख्या 1714 / 740 रकबा 0.2250 है0 की पूर्वी पाली से होते हुए प्रार्थीगण की आराजी में प्रवेश करते है। यह रास्ता करीब 15 फीट चौड़ाई में है। उक्त आराजियात में आवागमन का एकमात्र रास्ता है, इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 1, 2 व 4 की आराजी संख्या 1713 / 740 व विपक्षी संख्या 3 की आराजी संख्या 1714 / 740

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

iv. वर्तमान में सामलाती भूमि कॉलम 2 में अंकित आराजी संख्या 714 गेमुनाली के पास अप्रार्थीगणो की भूमि आराजी संख्या 1713/740, 1714/740 की पूर्वी सीमा पर 4.5 मीटर (15 फीट) रास्ता चाहा गया है। रास्ता प्रस्तावित हेतु भूमि का विवरण :–

क्र. स.	नाम ग्राम	आराजी संख्या	कुल रकबा	रास्ते हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल		प्रस्तावित रास्ते की भौगोलिक स्थिति	भूमि की डीएलसी दर	भूमि की कुल कीमत	भूमि की दुगुनी कीमत
				ल.X चौ.	क्षेत्रफल				
1	जोगरास	1713/740	0.2250	55X4.5	248	समतल	760000	18848	37696
2	जोगरास	1714/740	0.2250	50X4.5	225	स्मतल	760000	17100	34200

आराजी संख्या 1713/740 के उत्तरी पूर्वी कोना में सीमेन्ट की पट्टिया लगाकर लोहे के चद्दर से पशुओं हेतु शेड 42 फीट लम्बाई में बना रखा है।

v. प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से एवं वैकल्पिक रास्ता हरे इंक से दर्शाया गया है। प्रार्थीगणो की भूमि को नक्शे में स्टार से दर्शाया गया है।

vi. यह है कि मौके पर उपलब्ध रास्ता आराजी संख्या 745, 746, 748, 738, 737 में होकर आराजी संख्या 728 में एवं प्रार्थीगणो की भूमि में आवागमन किया जा सकता है तथा आराजी संख्या 725 व 1696/726 की पश्चिमी सीमा पर भी वैकल्पिक रास्ता निकल सकता है।

05. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु न्यायालय धारा 251–क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझता है, जिसके अनुसारः–

धारा 251क– अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना :– (1) जहॉ –

ख कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहुॅचने के लिए अन्य खातेदार की जोत मे से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है, –

और मामला पारंस्परिक सहमति से तय नही हो पाता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी अपनी सुविधा के लिए सम्बधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि –

vii. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

viii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को,

सहायक कलक्टर

की पूर्वी पाली पर 15 फीट चौड़ाई में स्थित है को बिलानाम गै.मु. रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाया जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम फरमाया जावें।

02. प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 सम्यक तामील होने के बावजूद उपस्थित नही होने से दिनांक 07.10.2025 को एकतरफा कार्यवाही की गई एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा निर्धारित प्रारूप में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो शामिल मिसल हैं।

03. तत्पश्चात् प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के आवेदन–पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित मार्क यानि विपक्षी संख्या 1, 2 व 4 की आराजी संख्या 1713/740 व विपक्षी संख्या 3 की आराजी संख्या 1714/740 की पूर्वी पाली पर 15 फीट चौड़ाई में प्रार्थीगण की भूमि तक आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित किया जावें। उक्त रास्ता नजदीक सरल एवं सुगम रास्ता हैं, प्रार्थीगण के पास आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विधमान नहीं है।

04. न्यायालय नें पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु विपक्षी संख्या 1, 2 व 4 की आराजी संख्या 1713/740 व विपक्षी संख्या 3 की आराजी संख्या 1714/740 की पूर्वी पाली पर 15 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया है। तहसीलदार रायपुर ने जरिए पत्रांक/5/2025/995 दिनांक 19.08.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट, नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अनुसार :–

i. यह है कि प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि ग्राम जोगरास के आराजी संख्या 728 रकबा 0.42 है0 में आवागमन हेतु विपक्षी की भूमि आराजी संख्या 1713/740 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 1714/740 रकबा 0.2250 है0 की पूर्वी पाली पर 15 फीट चोड़ा रास्ता रेकार्ड में दर्ज नही है।

ii. यह है कि प्रार्थीगणो की भूमि आराजी संख्या 728 रकबा 0.42 है0, आराजी संख्या 729 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 730 रकबा 0.27 है0, आराजी संख्या 731 रकबा 0.32 है0, आराजी संख्या 732 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 737 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 738 रकबा 0.24 है0 एक ही चक में है व आराजी संख्या 745 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 746 रकबा 0.11 है0 बिलानाम आराजी संख्या 782 गे.मु. रास्ता के पास है। आराजी संख्या 746 व 738 के बीच केवल आराजी संख्या 748 रकबा 0.27 है0 है जिसमें मौके पर रास्ता नही बना हुआ है शेष आराजी में मौके पर रास्ता बना रखे है जिसमें पूर्व में आवागमन किया जाता था मौके पर बिलानाम रास्ता आराजी संख्या 782 से आराजी संख्या 745 के पश्चिम, 746 के पश्चिम व दक्षिण व पड़ोसी खातेदार की आराजी संख्या 748 के उत्तरी पूर्वी सीमा पर होकर प्रार्थीगणो की आराजी संख्या 738 में पहुँच होता है इसके बाद अन्य सम्पूर्ण भूमि एक चक में है। अतः आराजी संख्या 748 मे रास्ता दर्ज होने पर वैकल्पिक रास्ता निकल सकता है जो पूर्व भी उक्त रास्ता से आवागमन किया जाता था। मौके पर आराजी संख्या 728 में फसल है।

iii. यह है कि आराजी संख्या 741 रकबा 0.41 है0 किस्म गै.मु. नाली दर्ज है। उपरोक्त विवादित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है, कि प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा।

06. चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 728 में आवागमन हेंतु वैकल्पिक रास्ता है। अतः उक्त वर्णित धारा 251–क प्रावधानानुसार प्रार्थी की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता प्रमाणित नही होती है तथा आवागमन हेतु वैकल्पिक साधन का अभाव भी प्रार्थी द्वारा सिद्ध नही किया गया हैं। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में प्रार्थी की आराजियात के आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता आराजी संख्या 745, 746, 748, 738, 737 में होकर आराजी संख्या 728 में अवागमन करना बताया गया। मौका रिपोर्ट में अंकन है कि आराजी संख्या 728 जिसमें रास्ता चाहा गया है उसमें मौके पर फसल खड़ी है इससे स्पष्ट होता है कि मौके पर आवागतन चालु है। मौका रिपोर्ट की कलम संख्या 2 में पूर्व में जिस रास्ते से आवागमन किया जाता था उसका अंकन है और वर्तमान में भी उसी रास्ते से आवागमन होना बताया गया है। वैकल्पिक रास्ता मौका रिपोर्ट में बताया गया है और जिससे वर्तमान में आवागमन किया जा रहा है, जिससे उक्त प्रार्थना पत्र केवल सुविधाजनक प्रतीत होता है।

उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में तहसीलदार रायपुर द्वारा संलग्न नक्शा अनुसार वैकल्पिक रास्ता मौजुद है जिससे प्रार्थीगण अपनी कृषि आराजियात में आवागमन किया जा सकता है। अतः न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

–: आदेश :–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली भांति साबित नहीं होने एवं वैकल्पिक रास्ता मौजुद होने से अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

(करूणा लाड़ोती)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 22/12/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा